Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम जिला भरतपुर कार्यालय के अवनीश सोनी अधिशाषी अभियंता (सिविल) 30,000/–रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 08 जुलाई, मगलवार । ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी भरतपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अवनीश सेानी अधिशाषी अभियंता (सिविल) कार्यालय राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम जिला भरतपुर को **30,000/– रूपये (5,000/– रूपये भारतीय चलन मुद्रा एवं 25,000/– डमी रूपये)** की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव (कार्यवाहक महानिदेशक, एसीबी) ने बताया कि एसीबी चौकी भरतपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी संवेदक द्वारा किये गये कार्यो के बिल पास करने की एवज में 15,000/–रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है जिसका सत्यापन करवाया गया तो मांग को बढ़ाकर 36,000/– रूपये कर दिया गया है और 30,000/– रूपये लेने पर सहमत हो गया है।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी भरतपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित सिंह** के नेतृत्व में आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी अवनीश सोनी अधिशाषी अभियंता (सिविल) कार्यालय आर.आर.वी.पी.एन. जिला भरतपुर को 30,000/– रूपये (5,000/– रूपये भारतीय चलन मुद्रा एवं 25,000/– डमी रूपये) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है।

आरोपी के आवस एवं अन्य ठिकानों पर तलाश जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।